

संख्या 27/17/2011-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012

सेवा में,

23 JAN 2012

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून

विषय: श्रीमति सीमा जौनसारी, उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, के प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की राज्य परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में श्रीमति सीमा जौनसारी, उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्रीमति सीमा जौनसारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्राथी हैं तथा उत्तराखंड के विकल्पधारी हैं । अतः समिति द्वारा पत्र संख्या 24-06-2010 के अनुसार श्रीमति सीमा जौनसारी को उत्तराखंड आवंटित करने की संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति सीमा जौनसारी का अंतिम आवंटन अनुसूचित जाती / जनजाति नीति के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,
[Signature]
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून

